बैयनामा अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

बैयनामा अराजी रकबा –

वाका गांव –

बदले मुबलिग (मालियत) –

कलैक्टर दर (यदि देय है तो) –

स्टाम्प शुल्क (यदि देय है तो) –

रजिस्ट्रेशन फीस (यदि देय है तो) –

विक्रेता का नाम (प्रथम पक्ष) –

क्रेता का नाम (द्वितीय पक्ष) –

पहले वसूल पाई राशि –

सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जारी सहायता राशि हेतू प्रथम पक्ष (विक्रेता) का बैंक खाता विवरण –

बैंक का नाम .....

.....

शाखा .....

खाता संख्या .....

.....

आईएफएससी कोड .....

.....

मैं/हम कि ....., सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी, श्री....., पुत्र/पुत्री श्री....., निवासी....., का/की हूं (प्रथम पक्ष)। जो कि एक किता प्लाट बा रकबा ..... वर्ग गज, खेवट नं0 ....., खतौनी नम्बर ....., खसरा नम्बर ..... में से ..... वर्ग गज/सालम के मालिक व

काबिज हैं। उपरोक्त रकबा हर प्रकार से पाक व साफ है जिस पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। प्लॉट/रकबा में दशाई गई भूमि/प्लाट/रकबा पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ। उक्त भूमि/प्लाट/रकबा किसी नीलामी व कुर्की आदि में शामिल नहीं है। उक्त भूमि/प्लाट/रकबा को आज से पहले किसी प्रकार से रहन–बैय–हिब्बा व अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उक्त भूमि/प्लाट/रकबा को विक्रय करने की बाबत किसी प्रकार की कोई रूकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं है। उक्त भूमि/प्लाट/रकबा को हर प्रकार से रहन, बैय–हिब्बा व अन्य तरीके पर बैय करने का/की अधिकारी हूं। अपने आत्मज्ञान तथा प्रसन्न चित्त से बिना किसी दबाव व बहकावे से उक्त भूमि/प्लाट/रकबा मय हक रास्ता बदले मुबलिग .....रूपये (अंकों में) ..... रूपये (शब्दों में) में बदस्त श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ....., पुत्र/पुत्री श्री ....., निवासी ..... (द्वितीय पक्ष) को बैय कर दिया है।

मैंने/हमने बैयनामा की कुल रकम में से मुबलिग ..... रूपये पहले ही वसूल पा लिए हैं व शेष राशि ..... रूपये हरियाणा सरकार के ..... विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मेरे बैंक....., शाखा....., खाता संख्या.....

आईएफएससी कोड .....में वसूल किए जाने हैं। अतः अब मेरा/हमारा खरीददार की तरफ कुछ भी बकाया नहीं है। सरकार द्वारा बकाया धनराशि मिलने के बाद खरीददार उपरोक्त अराजी का पूर्ण मालिक व काबिज हो जाएगा तथा यदि विक्रय सम्पति में बाया या कोई हकदार किसी प्रकार का झगड़ा करेगा या विक्रय सम्पति किसी नुक्स कानूनी या वाक्याती की वजह से मलकियत केता से निकल जावेगी तो उस सूरत में उसकी पैरवी, जवाबदेही, हरजा, खर्चा व वापसी कुल कीमत सब बजिम्मे बाया होगा/होगी।

अतः यह बैयनामा निष्पादित/लिख दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे/सनद रहे ताकि समय पर काम आये।

दिनांक .....

गवाह नम्बर 1 ..... प्रथम पक्ष ..... द्वितीय पक्ष .....

गवाह नम्बर 2 ..... (विकेता) (केता)